संख्या-148/आर-5272/26-3-2015-4(358)/07टी.सी

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर,2015

विषयः-शैक्षिक सत्र-2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 व 12 तथा ग्रुप-1,2,3 व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-879/26-3-2015-4(358)/07टी.सी.।।।,दि0-25.03.2015 एवं शासनादेश संख्या-1137/26-3-2015-4(358)/07टी.सी,।।।, दिनांक-23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-80/2015/2515/26-3-2015-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-04.08.2015 तथा शासनादेश संख्या-87/2015/2900/26-3-2015-4(358) /07 टी. सी.।।। दिनांक-26.08.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिये समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3367/स.क./शिक्षा-अ/2015-16 दिनांक-16.12.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 व 12 तथा ग्रुप-1,2,3 व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र सं	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु संशोधित तिथि	समूह-1,2,3 व 4 (कक्षा 11 व 12 को छोड़कर) के छात्रों हेतु संशोधित तिथि
1	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं शुद्ध डाटा के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	10 जनवरी 2016 तक	10 जनवरी 2016 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	15 जनवरी 2016 तक	15 जनवरी 2016 तक
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेन्ट के तहत पी0एफ0एम0एस0 से छात्र-छात्राओं के बचत खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	31 जनवरी 2016 तक	31 जनवरी 2016 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-148/2015/आर-5272(1)/26-3-2015 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश की प्रति प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराने का कष्ट करें।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in